दिनांक – 09 फरवरी, 2021

विषय : दिनांक 03 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) की उप धारा (**v**) के तहत मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को निदेश

संख्या डी–2/1/(1)/2021– ख और सीएस(2): जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा जाएगा), जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) (जिसे इसके पश्चात् भादूविप्रा प्राधिकरण कहा जाएगा), की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत कतिपय कार्यकरणों का निवर्हन करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;

2. और जबकि, केन्द्र सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (दूरसंचार विभाग), ने अपनी अधिसूचना संख्या 39 के माध्यम से ––

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (1) की खंड (ट) के परंतुक के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया, और

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II , धारा 3 – उप धारा (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44(ई)के तहत प्रकाशित।

ने दूरसंचार सेवाओं की प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को अधिसूचित किया है;

3. और जबकि प्राधिकरण ने एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नया विनियामक ढ़ांचा अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नवत को शामिल किया गया है:–

(क) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 (जिसे इसके पश्चात् प्रशुल्क आदेश, 2017 कहा जाएगा);

(ख) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017; और

(ग) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017;

4. और जबकि प्रशुल्क आदेश, 2017 की खंड 4 अन्य बातों के साथ– साथ टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा चैनलों की पेशकश के तरीके का उपबंध करता है, और उक्त खंड का संगत भाग निम्नवत पठित है:–

"(4) टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों को एक अथवा अधिक प्रसारकों से पे– चैनलों से तैयार किए गए बुके की पेशकश करने और सब्सक्राइबर द्वारा ऐसे बुके के लिए, प्रतिमाह भुगतान किए जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर खुदरा मूल्य को घोषित करने की अनुमति होगी:

बशर्ते कि ऐसे बुके में ऐसा कोई पे–चैनल शामिल नहीं होगा जिसके लिए प्रसारक द्वारा घोषित किया गया प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य बारह रुपये से अधिक हो:

बशर्ते आगे कि पे– चैनलों के ऐसे बुके के प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य, उस बुके का भाग बनने वाले अलाकार्ट पे– चैनलों और पे– चैनलों के बुके के प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य के योग का पिचासी प्रतिशत से कम नहीं होगा:

बशर्ते आगे कि टेलीजिवन चैनलों के किसी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पेशकश किए जाने वाले पे– चैनलों के बुके का वितरक प्रतिमाह खुदरा मूल्य किसी भी स्थिति में, उस बुके का भाग बनने वाले अलाकार्ट पे– चैनलों और पे– चैनलों के बुके के, प्रसारक द्वारा घोषित किए गए, प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य के योग से अधिक नहीं होगाः

बशर्ते आगे कि ऐसे बुके में कोई फ्री टू एयर चैनल शामिल नहीं होगाः

बशर्ते आगे यह भी कि ऐसे बुके में उसी चैनल के एचडी तथा एसडी दोनों किस्में शामिल होंगी।

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के उद्देश्य से, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के तहत बुके का भाग बनने वाले टेलीविजन चैनलों का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रसारक द्वारा पेशकश किए जाने वाले पे– चैनलों के बुके का, डिस्टीब्यूशन स्तर पर दो अथवा दो से अधिक बुके बनाने के लिए विखंडन नहीं करेगा।";

5. और जबकि, प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया था कि मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने नए विनियामक ढ़ांचे के उपबंधों का पूर्णरूप से अनुपालन नहीं किया है, और ऐसे गैर– अनुपालन के लिए मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 का एक पत्र/ कारण बताओ नोटिस संख्या 12–23/2020–बीएंडसीएस जारी किया गया था;

6. और जबकि, मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के पत्र के उत्तर में यह उल्लेख किया की वे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 का एक पत्र में पैरा 2(ख) में उठाए गए मुद्दे के अलावा उठाए गए अन्य मुद्दों का अनुपालन कर रहे है, जिसके अनुपालन के लिए कुछ समय प्रदान किए जाने की मांग की।

7. और जबकि, मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 05 जनवरी, 2020 के ई– मेल के माध्यम से प्राधिकरण को सूचित किया कि उन्होंने नए विनियामक ढ़ांचे के उपबंधों का अनुपालन किया है। तथापि, यह पाया गया कि मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रदर्शित एक डीपीओ बुके (पूर्व में ग्रामीण 250 और जिसे अब संशोधित कर एए– ग्रामीण 270 कर दिया गया है) अभी भी प्रशुल्क आदेश, 2017 की खंड 4 की उप खंड 4 के द्वितीय परंतुक का अनुपालन नहीं कर रहा है;

8. इसलिए, अब, प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) की उप खंड (v) के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 का अनुपालन करने और इस निदेश के जारी किए जाने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश देता है, ऐसा नहीं किए जाने पर मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध मौजूदा विनियामक उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(देवेंन्द्र द्विवेदी)
संयुक्त सलाहकार (बीएंडसीएस)

प्रेषिति,

श्री जगदीश पालिया,
प्रबंध निदेशक
मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
502, माइलस्टोन, 12,
रामदेशपीठ, नागपुर (महाराष्ट्र)
पिन– 440010